

अध्याय 5

अनंतिम कुर्की की वैधता, निरसन और निगरानी

इस अध्याय में धारा 281बी के तहत एक आदेश की वैधता पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर यथाचर्चित है, जिसमें संपत्ति की अनंतिम कुर्की का विस्तार या निरसन शामिल है। यह निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की प्रावधानों की निगरानी और कर-पश्चात मांग की वसूली के संदर्भ में कार्यवाही के परिणाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से 297 (84.9 प्रतिशत) में, धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि या तो कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई, जो बोर्ड के निर्धारित प्रावधानों और निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा, 31 मामलों (8.9 प्रतिशत) में, धारा 281बी के तहत आदेशों को धारा 281बी के तहत पिछले आदेश की समाप्ति की तारीख से दो से 166 दिनों के बीच के समय अंतराल के साथ बढ़ाया गया था। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि संबंधित निर्धारिती ने बीच की अवधि में कुर्क की गई संपत्ति का निपटान किया था या नहीं, जबकि कोई अनंतिम कुर्की नहीं थी।

धारा 281बी के तहत निपटान आयोग के समक्ष निर्धारिती के आवेदन के लंबित रहने की अवधि को अलग करने या धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि (जैसा कि 01/10/2014 से पहले उपलब्ध है) या निर्धारिती की अपील के दौरान निर्धारण के खिलाफ अदालत की रोक के दौरान सक्षम प्रावधानों के अभाव ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां राजस्व के हित अपील की अवधि के दौरान और अदालतों द्वारा दी गई निषेधाज्ञा/स्थगन की अवधि के दौरान या जब मामले आईटीएससी के समक्ष लंबित होते हैं, असुरक्षित रहते हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अभाव में धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने में देरी और निर्धारितियों द्वारा बीच की अवधि में संपत्तियों को अलग-

थलग करके स्थिति का लाभ उठाने का अंतर्निहित जोखिम है, जिन्हें अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही की तारीख के बाद उचित समय के भीतर अनंतिम कुर्की आदेश जारी नहीं किए जाने से निर्धारित पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम हो सकता है, जो दुरुपयोग हेतु सुग्राह्य है।

5.1 अनंतिम कुर्की की वैधता हेतु प्रावधान

अधिनियम की धारा 281बी(2) निर्धारित करती है कि धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की वैधता उप-धारा (1) के तहत किए गए आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगी। इसके तहत प्रावधान निर्धारित करता है कि धारा 281बी के तहत आदेश की अवधि, निर्धारित प्राधिकरण⁵⁸ द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि उपयुक्त माना जाता है, ताकि विस्तार की कुल अवधि किसी भी मामले में निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश की तारीख के बाद दो वर्ष या साठ दिन से अधिक, जो भी बाद में हो, नहीं होगी। बोर्ड ने आगे निर्देश दिया⁵⁹ (सितंबर 2004) कि जिन मामलों में निर्धारण पूरा हो गया है, यदि अनंतिम कुर्की को वसूली तक जारी नहीं रखा जा सकता है, तो उसी संपत्ति को अधिनियम की धारा 222/226 (अर्थात् नियमित कुर्की)⁶⁰ के तहत कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है।

धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तारित हैं।

5.1.1 धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि

1. धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन: लेखापरीक्षा ने 45 मामलों में पाया कि वैधता अवधि के लिए निर्धारित मानदंडों का विधिवत अनुपालन किया गया था, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

⁵⁸ प्रधान मुख्य आयुक्त (प्रधान सीसीआईटी), प्रधान आयकर आयुक्त (प्रि.सीआईटी), प्रधान महानिदेशक (प्रधान डीजीआईटी) या प्रधान निदेशक (प्रधान डीआईटी)।

⁵⁹ सीबीडीटी निर्देश संख्या 8 दिनांक 02/09/2004।

⁶⁰ धारा 222 के तहत संपत्ति की कुर्की (नियमित): कर वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र और धारा 226 के तहत: वसूली के अन्य तरीके।

- i. 28 मामलों में, धारा 281बी के तहत आदेश निर्धारण की तारीख तक वैध था और इन आदेशों के आगे विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि चार मामलों में कर मांग पूरी तरह से वसूल की गई थी और 22 मामलों में, विभाग द्वारा निर्धारण पूरा करने पर कोई मांग नहीं की गई थी और शेष दो मामलों में, आईटीएटी द्वारा निर्धारण को रद्द कर दिया गया था। मामले-वार विवरण **परिशिष्ट 20** में दिए गए हैं।
- ii. 17 मामलों में, (**परिशिष्ट 21** में दिए गए विवरण) जिनमें लेखापरीक्षा की अवधि (नवंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) के दौरान तलाशी निर्धारण लंबित थे, धारा 281बी के तहत आदेश वैध रहे और इसलिए विभाग से कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, 17 मामलों में से 12 में निर्धारण पूरा हो गया था, निर्धारण लंबित रहने के दौरान धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के विस्तार के विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इन मामलों में, निर्धारण धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि के भीतर पूरा किया गया था और कर मांग, यदि कोई था, को निर्धारित से पूरी तरह से वसूल किया गया था। इसके अलावा, उन मामलों में, जहां निर्धारण अभी तक पूरा नहीं हुआ था, संबंधित अनंतिम कुर्की आदेशों की वैधता अवधि बरकरार थी। इस प्रकार, सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार अनंतिम कुर्की प्रक्रिया का पालन किया गया।

2. धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि का समाप्त होना: लेखापरीक्षा में पाया गया कि 297 मामलों में, एओ आदेशों की वैधता के संबंध में धारा 281बी के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे थे क्योंकि इन मामलों में, धारा 281बी के तहत आदेश या तो कर की मांग, निर्धारण पूरा होने पर उठाई गई कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गया था, जो निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन था। जैसा कि नीचे यथाचर्चित है।

- i. **धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता निर्धारण पूरा होने से पहले समाप्त हो गई:** 87 मामलों में, धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता अवधि निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई थी और लेखापरीक्षा को

राजस्व के हितों की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड पर इन आदेशों के विस्तार का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला।

- ii. धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता निर्धारण पूरा होने के बाद लेकिन कर वसूली से पहले समाप्त हो गई: 210 मामलों में धारा 281बी के तहत आदेश निर्धारण की तारीख तक वैध रहे, लेकिन बाद में कर मांगों की पूरी वसूली करने से पहले समाप्त हो गए और इन मामलों में अनंतिम कुर्की को नियमित कुर्की में बदलने के रूप में कोई संरक्षी उपाय नहीं किया गया, जैसा कि मंत्रालय/सीबीडीटी द्वारा इंगित किया गया है। दो निदर्शी मामले को नीचे दिये गए हैं:

(क) श्रीमति एल5 के निर्धारण मामले में नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए केंद्रीय सर्किल-2(2), बेंगलुरु में प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत आकलन किया गया, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जांच विंग द्वारा लगभग ₹ 9.67 करोड़ अनुमानित अघोषित आय की मात्रा दर्शाते हुए जारी किया गया (अक्टूबर 2019) (लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित कर देयता ₹ 2.90 करोड़ है, अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए ₹ दो करोड़ मूल्य की संपत्ति, जो अपर्याप्त थी। उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण आदेश दिसंबर 2019 में ₹ 9.83 करोड़ की संचयी मांग को बढ़ाते हुए पारित किए गए थे। लेखापरीक्षा की तारीख (मार्च 2021) तक, एओ द्वारा धारा 226(3) के तहत आदेशों के जवाब में बैंकों द्वारा केवल ₹ 0.06 करोड़ के प्रेषण के बाद, ₹ 9.77 करोड़ की शेष मांग अभी भी लंबित थी (जुलाई 2022)। जबकि अनंतिम कुर्की अप्रैल 2020 में समाप्त हो गई थी, निर्धारिती का मामला ₹ 10.25 करोड़ (शास्ति सहित) की मांग की वसूली के अनुसरण में कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को भेजा गया था (मई 2020)। धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार को जारी न करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन (फरवरी 2021) के जवाब में, एओ ने कहा (जून 2021) कि धारा 281बी के तहत आदेश 24/10/2019 को पारित किया गया था और छह महीने की समाप्ति से पहले निर्धारण आदेश तैयार किए गए थे। आगे निर्धारण कार्यवाही (31/12/2019) के समापन पर, संपत्ति के विवरण के साथ कर मांग की वसूली के लिए एक

विस्तृत संदर्भ टीआरओ को दिया गया था। एओ का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि टीआरओ का संदर्भ मई 2020 में धारा 281बी (अप्रैल 2020) के तहत आदेश की समाप्ति के बाद किया गया था और 99 प्रतिशत से अधिक कर मांग बकाया थी। टीआरओ ने बाद में फॉर्म इनकम टैक्स सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग्स (आईटीसीपी)-1 में माँग नोटिस (सितंबर 2020) और निर्धारिती की दो संपत्तियों को कुर्क करने के लिए फॉर्म आईटीसीपी-16 (दिसंबर 2020) में नोटिस जारी किया, जबकि निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के पास 31/01/2020 को अपील दायर की थी, जो अभी तक लम्बित है (जुलाई 2022)।

(ख) मैसर्स डी16 समूह के संबंधित निर्धारितियों के एक तलाशी निर्धारण मामले में जिसमें 14 निर्धारिती शामिल हैं, श्री डी3, श्री यू1, श्री के9, श्रीमति जे17, मैसर्स एस18 प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आर4 प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ए21 प्राइवेट लिमिटेड, श्री एस40, श्री जे12, श्री एच3, श्री आर11, मैसर्स आर6 प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पी28 प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स एस37 प्रा.लिमिटेड, जिनका नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए निर्धारण केन्द्रीय सर्किल-31, प्र.सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत किया गया, धारा 281बी के तहत आदेश नवंबर 2019 में जारी किए गए थे, जिसमें कुर्क अचल संपत्तियों के मूल्य या अनुमानित कर देयता को नहीं दर्शाया गया था। इन 14 मामलों में से, छह मामलों में दिसंबर 2019 में निर्धारण पूरा कर लिया गया था और कुल कर मांग ₹ 47.80 करोड़ का उठाया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2021) कि जब कर की मांग अभी भी वसूली के लिए लंबित थी, इन छह मामलों में धारा 281बी के तहत आदेश मई 2020 में समाप्त हो गए। इसके अलावा, धारा 281बी के तहत जारी किए गए आदेशों के विस्तार के संबंध में कोई सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा इन आदेशों की वैधता का विस्तार नहीं करने और मामलों को टीआरओ को संदर्भित न करने के कारणों और साक्ष्यों का पता नहीं लगा सका।

समूह के अन्य आठ मामलों में, धारा 245सी के तहत निर्धारितियों के आवेदन आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के पास लंबित थे। इस बीच इन मामलों में धारा 281बी के तहत जारी आदेश व्यपगत हो गए थे। आईटीएससी

के समक्ष निर्धारितियों के आवेदनों की स्थिति और अनंतिम कुर्की आदेशों के गैर-विस्तार के लिए मंत्रालय/सीबीडीटी से उत्तर और विवरण प्रतीक्षित था (जुलाई 2022)।

इस प्रकार, पूर्वोक्त उदाहरण के मामलों में, संबंधित एओ यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि धारा 281बी के तहत आदेशों को चालू रखा गया था। परिणामस्वरूप, निर्धारितियों की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के प्रयास राजस्व के हित की रक्षा करने में प्रभावी साबित नहीं हुए, क्योंकि निर्धारितियों द्वारा अपनी कर देनदारियों का निर्वहन करने से पहले कथित संपत्तियों के निपटान के संभावित जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता था।

3. विस्तार आदेशों में वैधता अवधि इंगित नहीं की गई: अन्य आठ मामलों में, जहां पांच मामलों में निर्धारण पूरा हो गया था और तीन मामलों में लंबित था, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 281बी के तहत जारी विस्तार आदेशों में वैधता अवधि को नहीं दर्शाया गया था; नतीजतन, विस्तार आदेशों की वैधता की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका (*परिशिष्ट 22*)।

इस प्रकार, उक्त विस्तार आदेशों में वैधता अवधि के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या राजस्व के हित को निर्धारण पूरा होने तक या कर मांगों की पूरी वसूली तक संरक्षित किया गया।

5.1.2 धारा 281बी के तहत आदेशों के विस्तार में अंतर के कारण वैधता अवधि समाप्त हो गई

अधिनियम की धारा 281बी(2) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 281बी के तहत एक प्रारंभिक आदेश छह महीने की अवधि के लिए वैध होगा और इसे निर्धारण की तारीख के बाद अधिकतम दो साल या साठ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो भी बाद में हो। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि धारा 281बी के तहत मूल आदेश की वैधता अवधि समय के साथ बढ़ाई जाए, क्योंकि धारा 281बी के तहत आदेश और इसके बाद के विस्तार के बीच एक विराम की अनुमति देने से निर्धारितियों द्वारा कुर्क संपत्ति का निपटान करने का प्रयास करने का संभावित जोखिम होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मामलों में (*परिशिष्ट 23* के अनुसार), संबंधित एओ ने संपत्ति, जिसे मूल रूप से कुर्क किया गया था, के संबंध में धारा 281बी के तहत आदेश के लिए विस्तार दो से 166 दिनों के अंतराल के बाद जारी किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तार आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण अभिलेखों में नहीं थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि संबंधित निर्धारितियों ने बीच की अवधि में कुर्क संपत्ति का निपटान किया था या नहीं। निम्नलिखित पैराग्राफों में दो मामलों का वर्णन किया गया है।

(क) श्रीमति डॉ. एम10 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिनका निर्धारण नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, चेन्नई प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-1(4) में किया गया था, धारा 281बी के तहत एक प्रारंभिक आदेश (दिसंबर 2019) सात अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए जारी किया गया था (संपत्तियों के मूल्य के साथ-साथ अनुमानित कर देयता रिकॉर्ड में नहीं पाई गई थी)। अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अनुसार उक्त आदेश की वैधता अवधि 25/06/2020 तक थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रारंभिक आदेश की समाप्ति की तारीख से 74 दिनों के अंतराल के बाद 09/09/2020 को इसका विस्तार आदेश जारी किया गया था। विस्तार आदेश जारी करने में विलम्ब का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा की तारीख (फरवरी 2021) तक, तलाशी निर्धारण अभी भी लंबित था, जबकि धारा 281बी के तहत जारी अनंतिम कुर्की आदेश के विस्तार की स्थिति सुनिश्चित नहीं थी, क्योंकि उसमें वैधता अवधि का कोई उल्लेख नहीं था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि दो 281बी कुर्की के बीच 74 दिनों के अंतराल के मुद्दे पर महामारी की स्थिति के कारण ऐसा हुआ। इसे नियमित किया गया और सभी अचल संपत्तियों को बाद में (यानी 09/09/2020 से) अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के तहत लाया गया। आदेश के मुख्य भाग में धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि का उल्लेख नहीं करने के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता इस धारा की उप-

धारा 2 द्वारा शासित है। मंत्रालय ने आगे कहा कि संपत्तियां अभी भी 281बी कुर्की के अंतर्गत हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने तलाशी निर्धारणों को पूरा करने पर रोक लगा दी थी। अधिनियम की धारा 153ए के तहत तलाशी निर्धारण अभी निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए लंबित हैं।

इस मामले में अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

(ख) प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-2(4) चेन्नई में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारित श्री वी22 के एक तलाशी निर्धारण मामले में, धारा 281बी के तहत एक प्रारंभिक आदेश अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए जारी (12/03/2019) किया गया था। न्यायिक रजिस्ट्रार, अंबात्तूर को उक्त आदेश को अधिसूचित करते हुए, एओ, केंद्रीय सर्किल-2(4) चेन्नई ने सूचित किया कि निर्धारिती को अगले आदेश तक किसी भी तरह से संपत्ति को स्थानांतरित करने या प्रभारी करने से निषिद्ध /प्रतिबंधित किया जाएगा। 281बी प्रस्ताव (फरवरी 2019) ने अघोषित आय की मात्रा ₹ 17.29 करोड़ और उस पर संभावित कर ₹ 8.65 करोड़ निर्धारित किया। आदेश 11/09/2019 तक छह महीने के लिए वैध था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 26/02/2020 को एक विस्तार आदेश जारी किया गया था, यानी प्रारंभिक आदेश की समाप्ति की तारीख से 166 दिनों के अंतराल के बाद। विस्तार आदेश जारी करने में विलम्ब का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस बीच, ₹ 12.40 करोड़ की संचयी कर मांग बढ़ाकर 03/02/2020 को तलाशी निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के समक्ष निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दी। लेखापरीक्षा की तारीख (फरवरी 2021) तक धारा 281बी के तहत जारी आदेश पहले ही समाप्त हो चुका था और मांग अभी भी वसूली के लिए लंबित थी। इस बीच, एओ ने वसूली की निर्धारित प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकारी टीआरओ को मामला भेजा (जनवरी 2021)।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि इस मामले में 12/03/2019 को अनंतिम कुर्की की गई थी। चूंकि निर्धारण अधिकारी संवेदनशील मामलों को संभाल रहे थे और काम के भारी दबाव के

कारण, धारा 281बी के तहत आदेश को 166 दिनों के अंतराल के बाद बढ़ा दिया गया था। निर्धारण 03/02/2020 को पूरा किया गया, जिससे कुल ₹ 14.67 करोड़ की मांग उठाई गई। निर्धारण पूरा होने के बाद जनवरी 2021 में मामले को कर वसूली के लिए टीआरओ को रेफर कर दिया गया। संबंधित अधिकारी को भविष्य में और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

इस संबंध में टीआरओ द्वारा की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा (सितंबर 2022) में प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, धारा 281बी के तहत आदेश की समाप्ति की तारीख और उसी आदेश के विस्तार की तारीख के बीच समय अंतराल की अनुमति देने का मतलब है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति को निर्धारिती के विवेक पर निहित रूप से जारी किया गया है और निर्धारिती द्वारा उक्त को निपटाने का संभावित जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता। नतीजतन, ऐसे मामले उक्त समय अंतराल के दौरान असुरक्षित रह सकते हैं, जो वैधता अवधि के संबंध में धारा 281बी से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

5.1.3 न्यायालयों या निपटान आयोग के समक्ष लंबित मामलों के दौरान धारा 281बी के तहत जारी आदेश की वैधता

धारा 281बी(2) के प्रावधानों में एक दूसरा और तीसरा परंतुक (सितंबर 2014 तक) शामिल था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि को उस अवधि के दौरान समय सीमा की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा जब (क) अधिनियम की धारा 245 के तहत निपटान⁶¹ के लिए निर्धारिती का आवेदन आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष लंबित हो और (ख) निर्धारण / पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाही पर किसी भी अदालत के एक आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा रोक लगा दी गई हो। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा 01/10/2014 से इन परंतुकों को हटा दिया गया था।

इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारण के बाद की अवधि का उल्लेख नहीं है जिसमें निर्धारिती ने निर्धारण आदेशों के प्रति अपील को प्राथमिकता दी है या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारण अधिकारी से मांग

⁶¹ यह धारा 245 सी के तहत निपटान के लिए निर्धारिती द्वारा आईटीएससी के समक्ष किए गए आवेदन की तिथि और अधिनियम की धारा 245 डी (1) के तहत उसके प्रति जारी आदेश की तिथि के बीच की अवधि है।

पर रोक प्राप्त की है और परिणामस्वरूप इन अवधियों के दौरान, निर्धारण अधिकारी की गई कर मांगों की वसूली को लागू करने में सक्षम नहीं होगा।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मामलों में संबंधित निर्धारितीओं ने अधिनियम की धारा 245सी के तहत निपटान के लिए आवेदन फाइल किया था जो आईटीएससी के समक्ष लंबित था और अन्य सात मामलों में क्षेत्राधिकार न्यायालय ने निर्धारण कार्यवाही के प्रति निषेधाज्ञा/स्थगन आदेश दिया था जो लेखापरीक्षा⁶² की तिथि(ओं) तक लंबित था और धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता इस अवधि के दौरान समाप्त हो गई थी (**परिशिष्ट 24**)। इन मामलों में आईटीएससी/अपील के परिणाम की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी (अक्टूबर 2022) से प्रतीक्षित था। तीन निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:

(क) निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा में किया गया था, 20/12/2017 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें अनुमानित कर देयता को इंगित किए बिना चल संपत्ति अर्थात् ₹ 15.67 करोड़ के मूल्य वाली बैंक में सावधि जमा जो दिसम्बर 2017 में परिपक्व होने वाला था, को कुर्क किया गया था। इस आदेश को बैंक प्राधिकरण को अधिसूचित नहीं किया गया था। उपरोक्त आदेश अवधि को जून 2018 में निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल, पणजी द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे भी बैंक प्राधिकरण को अधिसूचित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गोवा में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने तलाशी निर्धारण पर रोक लगा दी थी और बाद में, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारण को रद्द कर दिया, जिसके प्रति विभाग ने उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी को प्राथमिकता दी है जो लंबित है (जुलाई 2022)। न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के कारण निर्धारण लंबित होने के दौरान, धारा 281बी के तहत विस्तारित अनंतिम कुर्की आदेश को दिसंबर 2018 में समाप्त होने दी गई थी। धारा 281बी के तहत आदेश के आगे विस्तार की स्थिति और

⁶² दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच।

अदालत द्वारा दी गई स्थगन अवधि के दौरान इसकी वैधता अवधि के संचालन के बारे में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल, पणजी ने कहा (जून 2021) कि धारा 148 के तहत नि. व. 2011-12 से 2013-14 के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी और इन कार्यवाहियों के आधार पर अनंतिम कुर्की की गई थी। गोवा में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा रोकी गई धारा 148 कार्यवाही को बाद में रद्द कर दिया गया है। इसके बाद, निर्धारिती ने उसी अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) फाइल की है, जो निर्णय के लिए लंबित है (जुलाई 2022)। हालांकि, उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए विशिष्ट नहीं था। इसके अलावा, चूंकि अनंतिम कुर्की आदेश दिसंबर 2018 में समाप्त हो गया था और अभिलेख पर पाए गए आदेश के किसी आगामी विस्तार के बिना इस अवधि के दौरान राजस्व का हित असुरक्षित प्रतीत होता है।

(ख) ए47 समूह के संबंधित निर्धारितियों श्री वाई3, श्री आर20, श्रीमति के7, श्री सी10, श्री एस45 और श्रीमति एम15 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद प्रभार के अधीन केन्द्रीय सर्किल-1(1), अहमदाबाद में नि.व. 2007-08 से 2013-14 तक के लिए किया गया, धारा 281बी के तहत नवीनतम आदेश जून 2018 में जारी किए गए थे, जिसमें निर्धारितियों की अनुमानित कर देनदारियों का उल्लेख नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2021) कि निर्धारण कार्यवाही पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और धारा 281बी के तहत आदेश दिसंबर 2018 में समाप्त हो गए थे। इस प्रकार, धारा 281बी के तहत आदेशों को वैध रखने में निर्धारण अधिकारी की ओर से चूक के साथ सक्षम प्रावधानों की अनुपस्थिति के कारण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण पूरा करने की अनुमति दिए जाने पर उत्पन्न हो सकने वाली कर मांगें असुरक्षित रहेंगी।

(ग) निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए श्री ए16 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि प्रभार के अधीन केन्द्रीय सर्किल, अर्णकुलम किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने अनंतिम रूप से कुर्क की गई (₹ 82 करोड़ मूल्य) की 34 अचल संपत्तियों में

से प्रत्येक के ऋणभार/प्रकृति का पता लगाया था। इनमें से 14 संपत्तियों को जागीर (₹ 17.53 करोड़ मूल्य) और शेष 20 संपत्तियों (मूल्य ₹ 64.47 करोड़) को बैंक ऋण के प्रति देनदार बनाया गया था। तत्काल मामले में, सक्षम निर्देशों की अनुपस्थिति के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कुर्की से पहले संपत्ति की देनदारी की स्थिति का पता लगाया। धारा 281बी के तहत आदेश 06/08/2018 को दो और विस्तारों के साथ जारी किया गया था जो 05/02/2020 तक वैध थे। तलाशी निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ था (फरवरी 2021), क्योंकि मामला आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी)⁶³ के पास लंबित है, लेकिन धारा 281बी के तहत आदेश आगे बढ़ाए बिना समाप्त हो गया।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए (जुलाई 2022) कहा कि "धारा 245डी के तहत निर्धारण लंबित है क्योंकि निर्धारिती का आवेदन माननीय आईटीएससी द्वारा स्वीकार किया गया है। धारा 281बी(2) के परंतुक के अनुसार, प्रत्येक अनंतिम कुर्की 6 महीने के बाद प्रभावी नहीं होगी और जिसे पीसीआईटी के अनुमोदन से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और विस्तार की कुल अवधि किसी भी मामले में निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश की तिथि के दो वर्ष या 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। जब आदेश 04/02/2020 तक अस्तित्व में था, अधिनियम की धारा 153 ए के तहत निर्धारण कार्यवाही के लंबित होने के दौरान, निर्धारिती ने आईटीएससी के समक्ष धारा 245 सी के तहत आवेदन फाइल किया और निर्धारिती के 30/12/2019 के आवेदन को आईटीएससी के 13/01/2020 के आदेश के अनुसार स्वीकार कर लिया गया। आईटीएससी को विशिष्ट शक्तियां देने वाली धारा 245डीडी, 245एफ और 245एच के प्रावधानों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही बंद होने पर ही निर्धारण अधिकारी को अधिकार क्षेत्र मिलता है। अन्यथा, निर्धारण अधिकारी एक कार्यात्मक अधिकारी नहीं रहता है। इसलिए, इस मामले में निर्धारण अधिकारी अनंतिम कुर्की को आगे नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि निर्धारण अधिकारी के पास उस तिथि को निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया

⁶³ आईटीएससी का गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 245 बी के तहत किया जाता है, ताकि धारा 245 सी के तहत एक आवेदन के माध्यम से निर्धारिती द्वारा दायर निर्धारण मामले का निपटान किया जा सके।

था जिस तिथि को अनंतिम कुर्की समाप्त हो गई थी अर्थात् 05/02/2020 क्योंकि निपटान आयोग ने 13/01/2020 को निर्धारिती के आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, निर्धारण अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं हुई है और इसलिए आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

अधिनियम में सक्षम प्रावधानों की अनुपस्थिति के कारण, अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता अवधि तत्काल मामले में फरवरी 2020 में समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, आईटीएससी से निर्णय के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों के निरंतर संरक्षण के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

दिनांक 01-10-2014 से परंतुकों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप, धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों की वैधता आयकर निपटान आयोग के समक्ष निर्धारिती के आवेदन के लंबित रहने के दौरान या न्यायालयों द्वारा निर्धारण कार्यवाही पर दी गई निषेधाज्ञा/स्थगन की अवधि के दौरान व्यपगत हो गई, जिसके लिए राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम में वर्तमान में कोई सक्षम प्रावधान मौजूद नहीं है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान पर विचार किया जा सकता है कि अनंतिम कुर्की आदेश की वैधता अवधि अपीलों के लंबित होने, आईटीएससी के फैसले या निर्धारण के प्रति अदालत के स्थगन / निषेधाज्ञा से प्रभावित न हो।

(ii) इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिन 63 मामलों में निर्धारण पूरे हो गए थे, निर्धारितियों ने निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपील फाइल की थी और धारा 281बी के अंतर्गत संबंधित आदेशों की वैधता अवधि अपील लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गई थी (**परिशिष्ट 25** के अनुसार आयुक्तालय-वार विवरण)।

चूंकि अधिनियम के मौजूदा प्रावधान अनंतिम कुर्की की वैधता के मामले को संबोधित नहीं करते हैं यदि निर्धारिती निर्धारण के बाद की अवधि में निर्धारण आदेशों के प्रति अपील को वरीयता देते हैं या निर्धारिती एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारण अधिकारी से मांग पर रोक प्राप्त करते हैं। निर्धारण अधिकारी धारा 281बी के तहत आदेशों की वैधता समाप्त होने के कारण उठाई गई कर मांगों की वसूली सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होंगे।

5.1.4 धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करना और उस पर प्रारंभिक आदेश जारी करना

धारा 281बी के प्रावधान ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं जिसके भीतर अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जाने हैं, जहां निर्धारण अधिकारी का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक है। संयोग से, अधिनियम की धारा 132 (9ए) जब्त की गई सामग्री (जैसे, लेखा पुस्तकें और / या अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण, आदि) को निर्धारण अधिकारी को सौंपने के लिए तलाशी कार्यवाही⁶⁴ की अंतिम तिथि से साठ दिनों की समय सीमा निर्धारित करती है, जिसके पास तलाशी लिए गए व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र है।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग के अभिलेखों से 350 लेखापरीक्षित मामलों में से 237 मामलों के संबंध में तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लिए गए समय के संबंध में जानकारी एकत्र की गई। शेष 113 मामलों में, तलाशी की तिथि और/या धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की तिथि से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) तलाशी की तिथि से धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की तिथि तक का समय अंतराल 208 दिनों और 1220 दिनों के बीच था (आयुक्तालय-वार विवरण **परिशिष्ट 26** द्वारा)। लेखापरीक्षा तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने की तिथि तक ऐसे समय अंतराल में भारी समय अंतराल और भिन्नता के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

(ii) लेखापरीक्षा में यह भी कहा गया है कि 275 मामलों⁶⁵ में से 67 (24.4 प्रतिशत) मामलों में, जहां निर्धारण पूरा हो गया था, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश निर्धारण की तिथि से 0 से 15 दिनों के पहले जारी किए गए थे, जबकि अन्य 52 मामलों (18.9 प्रतिशत) में, अनंतिम कुर्की के लिए प्रारंभिक आदेश निर्धारण की तिथि से 16 से 60 दिनों के पहले जारी किए गए थे। इस प्रकार, निर्धारित समय सीमा के अभाव में, निर्धारण

⁶⁴ धारा 132 (1) के प्रावधानों के अनुसार जांच अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य।

⁶⁵ 291 निर्धारण मामलों में से 16 मामलों में लेखापरीक्षा के पास धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश की तिथि के बारे में जानकारी नहीं थी।

अधिकारी ने निर्धारण की तिथि से दो महीने पहले धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी किए, हालांकि संबंधित तलाशी बहुत पहले की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तलाशी मामलों में, निर्धारण को अंतिम रूप देने से कुछ समय पहले विचार के बाद अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए होंगे।

(iii) तीन⁶⁶ मामलों में निर्धारितियों ने संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क किए जाने से पहले ही अपनी कुछ संपत्तियों का निपटान कर दिया था, जिससे पता चला कि निर्धारण अधिकारी द्वारा देरी से कार्रवाई ने धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने को निरर्थक बना दिया।

एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है।

श्री टी1 के केंद्रीय सर्किल-1(3), बंगलुरु में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2019-20 के लिए प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बंगलुरु प्रभार के तहत किए गए तलाशी निर्धारण मामले में, निर्धारण अधिकारी ने 15/07/2019 को धारा 281बी के तहत छह अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया। लेखापरीक्षा ने (दिसंबर 2020) अनंतिम कुर्की के अभिलेख से देखा कि एक पारिवारिक करार विलेख 12/07/2019 को निष्पादित किया गया था, अर्थात् धारा 281बी के तहत जारी आदेश की तिथि से तीन दिन पहले, जिसके माध्यम से निर्धारितों ने अनंतिम रूप से कुर्क की गई दो अचल संपत्तियों (जुलाई 2019) के संबंध में अपना अधिकार और हित जारी किया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि हालांकि यह जानकारी निर्धारण अधिकारी को प्रारंभिक आदेश की वैधता के दौरान अगस्त 2019 में सब-रजिस्ट्रार ऑफिसर (एसआरओ) से मिली थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और क्रमशः जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 में चार बार समान संपत्तियों की अनंतिम कुर्की बढ़ा दी। इससे धारा 281बी के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, जिससे राजस्व का हित असुरक्षित रह गया।

⁶⁶ श्री टी.1- केन्द्रीय सर्कल -1(3), बंगलुरु, जी1 - केन्द्रीय सर्कल - 1(3), चेन्नई और मैसर्स आर25 लिमिटेड - केन्द्रीय सर्कल -1(4), अहमदाबाद।

लेखापरीक्षा में आगे देखा कि निर्धारण जुलाई 2021 में पूरा हो गया था, जिसमें ₹ 91.83 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी, जिसके प्रति निर्धारिती ने 30/04/2022 को अपील को प्राथमिकता दी, जो लंबित थी (जुलाई 2022)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल - 1(3), बेंगलुरु ने उत्तर दिया (जनवरी 2020 और जुलाई 2021), कि "संपत्तियों की सूची और उनके निर्धारण को कुर्की प्रस्तावों में लगाया गया है, कुर्की का इरादा निर्धारिती की मौजूदा संपत्तियों पर ग्रहणाधिकार बनाना है। निर्धारिती रियल एस्टेट के व्यवसाय में है और उसने अपनी कुछ संपत्तियों को पूंजीगत संपत्ति के रूप में रखा और बेचा है, जो पंजीकरण और लेनदेन के विभिन्न चरणों में हैं, तदनुसार, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए तत्काल आधार पर ज्ञात संपत्तियों पर प्राथमिक या दूसरा ग्रहणाधिकार बनाने का प्रयास किया गया है।" यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह पहले से अलग-थलग संपत्तियों की कुर्की के मामले के साथ-साथ इस कारण से भी विशिष्ट नहीं है कि इस तरह की कुर्की कानूनी रूप से वैध नहीं होगी, जिससे अनंतिम कुर्की का इच्छित उद्देश्य विफल हो जाएगा।

लेखापरीक्षा की राय है कि जांच विंग से जब्त सामग्री (जैसे, लेखा पुस्तकें और/या अन्य दस्तावेज, धन, सर्राफा, आभूषण, आदि) प्राप्त करने के बाद निर्धारण अधिकारी के लिए राय बनाने और धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने के लिए एक उचित समय सीमा तय करना आवश्यक है। एक तरफ यह राजस्व के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ, ऐसी समय सीमा नहीं होने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम आ जाता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील होता है।

इस प्रकार, धारा 281बी के तहत आदेशों में निरंतरता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण, राजस्व का हित अंतरिम अवधि(ओं) के लिए असुरक्षित रहा, जब अनंतिम कुर्की आदेश समाप्त हो गया था या लागू नहीं था। इसके अलावा, अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के प्रावधानों के अभाव में धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने में देरी का अंतर्निहित जोखिम होता है, जिससे निर्धारिती(यों) को अपनी संपत्तियों का निपटान करने का अनुचित अवसर मिलता है ताकि भविष्य की

कर मांगों की वसूली प्रक्रिया को रोका जा सके और इसके परिणामस्वरूप चिरस्थायी परिणाम भी होते हैं, लेकिन निर्धारिती पर अनिश्चितकालीन जोखिम आ जाता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

सिफारिश संख्या 8:

सीबीडीटी कर सकता है:

(i) धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के कार्यान्वयन को लागू करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक कर निर्धारण पर कर मांग पूरी तरह से वसूल नहीं हो जाती, तब तक मामले निरंतर संरक्षित रहें।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत बाध्य हैं। तथापि, लेखापरीक्षा के सुझाव पर ध्यान दिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

(ii) निपटान आयोग / न्यायालय के स्थगन अथवा निर्धारण के विरुद्ध निषेधाज्ञा या निर्धारण के विरुद्ध अपील के मामले में लंबित मामलों की अवधि के दौरान धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि को बाहर रखने के उपाय शुरू करने पर विचार करें।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कहा कि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक पूर्वव्यापी उपाय है। चूंकि, यह उपाय करदाताओं के लिए कठोर है, इसलिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत एक आदेश की वैधता केवल 6 महीने है (अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)। इसलिए, अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता से सुझाव में उल्लिखित अवधियों को बाहर रखने से निर्धारितियों को गंभीर शिकायतें होंगी क्योंकि कर मांग

जिसके प्रति किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। इसलिए, यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है।

मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व के हितों की रक्षा करना है जैसा कि बोर्ड के अनुदेश संख्या 1884/1991 दिनांक 07/06/1991 में कहा गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त प्रावधान अक्टूबर 2014 से पहले से ही लागू थे। करदाताओं के लिए कठोर हुए बिना राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को विवेकपूर्ण ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

(iii) एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करें जिसके अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जाएं, विशेषकर तलाशी से संबंधित मामलों में। इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि यहां यह ध्यान रखना उचित है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए कुछ मामलों में कर संग्रह के लिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की का सहारा लेने का इरादा है। इसे कर वसूली की सामान्य विधि के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की आवश्यकता है या नहीं, इसका पता अधिकारियों से उचित अनुमोदन के बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया जाना है। चूंकि, जिस मांग के प्रति किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया जाना है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, इसलिए इस तरह की कुर्की के लिए समय सीमा निर्धारित करना निर्धारितियों के लिए हानिकारक होगा और इसके परिणामस्वरूप शिकायतें होंगी।

लेखापरीक्षा का यह विचार है कि अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने में समय पर कार्रवाई, विशेष रूप से तलाशी से संबंधित मामलों में निर्धारिती को संपत्ति के निपटान का प्रयास करके मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने से रोकने और राजस्व के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए थे कि तलाशी की तिथि और प्रारंभिक अनंतिम कुर्की आदेश की तिथि के बीच काफी अंतर होने के कारण, संबंधित निर्धारिती अपनी संपत्ति का निपटान करने में सक्षम थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि 43.3 प्रतिशत मामलों में, जहां निर्धारण पूरा हो गया था, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश निर्धारण पूरा होने से दो महीने पहले जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा संपत्ति का

निपटान करने और कर वसूली प्रक्रिया को रोकने का जोखिम व्याप्त था। इसके अलावा, समय सीमा निर्धारित नहीं करने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम रहता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील होता है। इसलिए, सीबीडीटी अधिनियम की धारा 281बी के अनुसार राजस्व के हितों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विवेकपूर्ण रूप से एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

5.2 अनंतिम कुर्की पर विशिष्ट टिप्पणी शामिल करने के लिए संवीक्षा निर्धारण की समीक्षा

बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ सितम्बर, 2004⁶⁷ के अनुदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि संवीक्षा निर्धारणों की समीक्षा करते समय, निर्धारित प्राधिकारी⁶⁸ धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के पहलू पर एक विशिष्ट टिप्पणी करेगा। इसके बाद, बोर्ड ने नवम्बर, 2008⁶⁹ के अनुदेशों के तहत निर्धारण क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों के निर्धारण कार्य की समीक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। तदनुसार, बोर्ड ने अपने पर्यवेक्षी नियंत्रण के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किए जा रहे निर्धारण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने और प्रत्येक तिमाही के लिए प्रति निर्धारण अधिकारी कम से कम तीन मामलों के चयन पर विशिष्ट अवलोकन करने के लिए प्र.एसआईटी को समीक्षा अधिकारी के रूप में नामित किया।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से 291 मामलों में संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया था। लेखापरीक्षा ने संबंधित प्र.सीआईटी (केंद्रीय) द्वारा समीक्षा किए गए निर्धारण मामलों से संबंधित जानकारी और धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के पहलू पर की गई टिप्पणियों से संबंधित जानकारी मांगी। विभाग ने केवल 177 मामलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किए हैं। आयुक्तालय-वार विवरण नीचे तालिका संख्या 09 में दिया गया है:

⁶⁷ 2004 की बोर्ड की अनुदेश सं.8 दिनांक 02 सितम्बर, 2004।

⁶⁸ प्रधान मुख्य आयुक्त (प्र सीसीआईटी), प्रधान आयकर आयुक्त (प्र सीआईटी), प्रधान महानिदेशक (प्र डीजीआईटी) या प्रधान निदेशक (प्र डीआईटी)।

⁶⁹ अनुदेश सं.15/2008 दिनांक 04 नवम्बर, 2008।

तालिका संख्या 09: प्र.सीआईटी द्वारा किए गए निर्धारण की समीक्षा का आयुक्तालय-वार विवरण				
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी की संख्या)	कुल मामले जिनमें संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था	की संख्या जिनमें निर्धारण अधिकारी ने विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर दिया	प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) द्वारा समीक्षा के अधीन मामलों की संख्या (कॉलम 3 के मामलों में से)	उन मामलों की संख्या जिनमें प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) ने 281 बी प्रक्रिया पर टिप्पणी की (कॉलम 4 के मामलों में से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली (03)	07	07	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (04)	30	30	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली (06)	27	27	02	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (02)	24	24	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (03)	07	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (01)	06	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई (04)	09	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई (05)	11	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (04)	16	01	01	01
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (06)	31	09	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (04)	25	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि (02)	05	02	01	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (10)	27	22	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (07)	25	25	02	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम (01)	05	0	-	-
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (05)	25	19	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान (01)	03	03	0	0
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (02)	08	08	0	0
कुल	291	177	06	01

1. जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, संबंधित प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) द्वारा चार केंद्रीय आयुक्तालयों से संबंधित केवल छह मामलों की समीक्षा की गई थी। इन छह मामलों में से पांच में, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि निर्धारित प्राधिकारी ने उस पर अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। शेष एक मामले में, जिसमें प्र.सीआईटी (केन्द्रीय-4) मुंबई ने धारा 281 बी के तहत अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया पर टिप्पणी की थी, हालांकि, बार-बार अनुरोध (जुलाई 2022) के बावजूद लेखापरीक्षा को टिप्पणियां उपलब्ध नहीं कराई गईं।

शेष 114 मामलों में, जहां विभाग ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि बोर्ड के अनुदेशों के अनुपालन में संबंधित प्र.सीआईटी (केंद्रीय) द्वारा अनंतिम कुर्की प्रक्रिया की समीक्षा की गई थी या नहीं।

इस प्रकार, जांच निर्धारण की समीक्षा के दौरान अनंतिम कुर्की के पहलुओं पर टिप्पणी करने के मामले पर सीबीडीटी के सितंबर 2004 के निर्देश काफी हद तक अधूरे रहे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

सिफारिश सं. 9:

सीबीडीटी इस संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके।

5.3 जांच विंग की मूल्यांकन प्रतिवेदन में खामियां

सीबीडीटी ने सितम्बर, 2004 के अनुदेशों⁷⁰ के तहत कहा है कि तलाशी और जब्ती के मामलों में समूह निर्धारण के तहत भारी मांग की जाती है और इसकी वसूली कठिन और समय लेने वाली होती है। सीबीडीटी ने आगे कहा कि केंद्रीय प्रभारों में निर्धारण अधिकारियों के लिए धारा 281 बी के प्रावधानों को लागू करने की संभावना तलाशना बेहद महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करते समय, डीडीआईटी (जाँच)/एडीआईटी (जाँच) को इस धारा के तहत संलग्न किए जा सकने वाले निर्धारितियों की संपत्ति की पहचान करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और मूल्यांकन प्रतिवेदन में ही इसका विशिष्ट उल्लेख करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 133 मामलों (350 लेखापरीक्षित मामलों में से) जिनमें निर्धारण अधिकारी ने लेखापरीक्षा के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों का निष्कर्ष उपलब्ध कराया, जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची केवल नौ मामलों में साझा की गई थी (इस प्रतिवेदन के पैरा 4.1 (ii))

⁷⁰ सीबीडीटी अनुदेश सं.8 दिनांक 02/09/2004

को देखें)। लेखापरीक्षा शेष मामलों में जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची की पूर्णता की पुष्टि नहीं कर सकी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एक मामले में मूल्यांकन प्रतिवेदन में निहित सूचना के आधार पर फ्लैट की अनंतिम कुर्की की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति कुर्क की गई जो कुर्की के समय निर्धारिती की नहीं थी। मामले को नीचे दर्शाया गया है:

श्री वी18 के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-1(3), अहमदाबाद में किया गया था, के लिए निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत दो अचल संपत्तियों अर्थात् गांधी नगर के एक अपार्टमेंट में (मूल्य नहीं दर्शाया गया) फ्लैट संख्या 303 और 304 को जब्त करने का आदेश जारी किया था (22/02/2018)। इसके बाद, निर्धारिती ने सूचित किया (मार्च 2018) कि वह कभी भी फ्लैट संख्या 304 का मालिक नहीं रहा था और दूसरा फ्लैट (संख्या 303) तलाशी की तिथि (06/02/2017) से बहुत पहले ही बेच दिया गया था (अप्रैल 2015)। निर्धारण अधिकारी ने सूचित किया (07/05/2018) कि उप-रजिस्ट्रार, गांधीनगर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार, फ्लैट संख्या 304 वास्तव में निर्धारिती का था और उक्त संपत्ति को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारिती द्वारा गिरवी भी रखा गया था।

निर्धारण अधिकारी ने आगे बताया कि दूसरा फ्लैट वास्तव में अप्रैल 2015 में निर्धारिती द्वारा एक अलग क्षेत्राधिकार के तहत निर्धारण किए गए तीसरे पक्ष को बेच दिया गया था। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत फ्लैट संख्या 303 की कुर्की को रद्द करके और फ्लैट संख्या 304 की कुर्की जारी रखने के लिए आदेश में संशोधन का प्रस्ताव दिया। प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद ने रेंज-प्रमुख से कारण मांगे (25/05/2018) कि फ्लैट संख्या 303 को कुर्क करने की सिफारिश क्यों की गई थी और उसी दिन फ्लैट संख्या 303 की अनंतिम कुर्की को रद्द करने और फ्लैट संख्या 304 की अनंतिम कुर्की जारी रखने के लिए मंजूरी भी दी गई थी। निर्धारण अधिकारी ने रेंज-प्रमुख के माध्यम से एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत की (12/06/2018), जिसमें कहा गया था कि संबंधित समूह मामलों की मूल्यांकन

प्रतिवेदन में निहित जानकारी के अनुसार फ्लैट संख्या 303 को निर्धारिती से संबंधित बताया गया था और इस तथ्य को बंधक विलेख की प्रति से भी प्रमाणित किया गया था जिसे निर्धारिती ने एक बैंकिंग संस्थान के साथ दर्ज किया था (28/08/2014) और अभिलेख पर इन सामग्री के आधार पर, उक्त संपत्ति के लिए धारा 281बी के तहत आदेश जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि चूंकि बंधक विलेख और धारा 281बी के तहत आदेश के बीच लगभग चार वर्ष का अंतर था, इसलिए निर्धारण अधिकारी उस संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति को सत्यापित कर सकता था, जिसे कुर्क करने पर विचार किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, फ्लैट संख्या 304 की अनंतिम कुर्की को जारी रखने के लिए 25/05/2018 को धारा 281बी के तहत एक नया आदेश जारी किया गया था। हालांकि, वैधता अवधि पहले के आदेश की तिथि अर्थात् 22/02/2018 से छह महीने बताई गई थी। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत एक अन्य अचल संपत्ति (12/01/2019 तक वैध) को कुर्क करने के लिए एक और आदेश (13/07/2018) जारी किया, जिसे संबंधित उप-रजिस्ट्रार से पूर्व-सत्यापित किया गया था और निर्धारिती के कब्जे में पाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2021) कि तलाशी निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 341.51 करोड़ की संचयी कर मांग उठाई गई थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह बताया गया था कि मामले को बाद में फिर से खोल दिया गया था और 10/02/2022 को धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत निर्धारण आदेश पारित किया गया था और मांग को संशोधित करके ₹ 397.5 करोड़ कर दिया गया था जो जुलाई 2022 तक बकाया था। इसके प्रति निर्धारिती की अपील लंबित है (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

5.4 अनंतिम कुर्की की वैधता के दौरान कार्रवाई

धारा 281बी के तहत जारी अनंतिम कुर्की आदेश को संबंधित प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है, जिसमें पंजीकरण प्राधिकारी और सीईआरएसएआई शामिल होते हैं ताकि राजस्व के हितों को सुरक्षित किया जा सके और निर्धारितियों को कुर्क की गई संपत्ति का निपटान करने का प्रयास करने से

रोका जा सके और यह पुष्टि भी की जा सके कि संपत्ति का मालिकाना हक निर्धारिती के नाम पर है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने उप रजिस्ट्रार को धारा 281बी के तहत आदेश अधिसूचित किए जाने के बाद भी संपत्ति का निपटान किया था। मामले को नीचे दर्शाया गया है:

श्री ए5 के नि.व. 2015-16 से 2017-18 के लिए तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण केंद्रीय सर्किल-1(2), चेन्नई में प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई प्रभार के तहत किया गया, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 281बी के तहत ₹ 19.50 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति 11 अचल संपत्तियों (कृषि भूमि, फ्लैट आदि) जिनका कुल मूल्य ₹ 2.68 करोड़ था, को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। धारा 281बी के तहत आदेश को उसी तिथि को विलनूर (पुडुचेरी), सलेम पश्चिम (सलेम), कोडमबक्कम (चेन्नई), चेंगलपट्टूर, गुंटूर और कांचीपुरम क्षेत्राधिकारों के उप-रजिस्ट्रार अधिकारियों को अधिसूचित किया गया था, जिसमें अनंतिम कुर्की के तथ्य पर ध्यान देने और संबंधित रजिस्टर में आयकर विभाग पर ऋणभार बनाने के लिए प्रविष्टि करने का अनुरोध किया गया था। स्वतंत्र सत्यापन⁷¹ पर लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2021) कि आठ दिन बाद निर्धारिती ने एक संपत्ति (सलेम जिला) बेच दी और निर्धारण अधिकारी को कुर्क संपत्ति की बिक्री के बारे में बताया नहीं गया था। इसके बाद, इन तथ्यों की पुष्टि किए बिना, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत आदेश का विस्तार जारी किया (मई 2018), जिससे कुर्की निरर्थक हो गई क्योंकि कुर्क की गई संपत्ति अब निर्धारिती के कब्जे में नहीं थी। इस प्रकार, विस्तार के माध्यम से इसे कुर्क करने की निरंतरता ने निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मामले को इस हद तक असुरक्षित बना दिया।

मंत्रालय ने मामले को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि "ग्यारह संपत्तियों में से, निर्धारिती ने 281बी कुर्की आदेश संबंधित उप रजिस्ट्रार को भेजे जाने से पहले ही सलेम की संपत्ति को अपनी पत्नी श्रीमति ए49 को हस्तांतरित कर दिया था। निर्धारिती द्वारा इसकी सूचना

⁷¹ तमिलनाडु सरकार के पंजीकरण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से, "tnreginet"।

निर्धारण अधिकारी को नहीं दी गई थी। इसलिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत ग्यारह संपत्तियों पर कुर्की का नवीकरण किया गया था। हालांकि, टीआरओ, सलेम द्वारा 19/04/2018 को श्रीमति ए49 के बकाया के प्रति सलेम की संपत्ति कुर्क की गई थी। अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153सी के तहत 28/12/2018 को नियमित निर्धारण आदेश पूर्ण किया गया था, जिसमें निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के संबंध में क्रमशः ₹ 14.88 करोड़, ₹ 36.24 करोड़ और ₹ 7.87 करोड़ की मांग की गई थी। इसके बाद, आईटीए संख्या 392, 393 और 394/18-19 में दिनांक 30/09/2019 के सीआईटी (ए) के पहले अपीलीय आदेश को प्रभावी कर दिया गया था और निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए निवल देय मांग को घटाकर शून्य कर दिया गया। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए बकाया मांग केवल ₹ 2.48 लाख थी।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने सेलम जिले में स्थित संपत्ति को 13/12/2017 को अर्थात् धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश (05/12/2017) जारी होने की तिथि से आठ दिनों की अवधि के भीतर बेच दिया था, न कि संबंधित उप रजिस्ट्रार को 281बी कुर्की आदेश भेजे जाने से पहले। इसके अलावा, चूंकि उप-रजिस्ट्रार उक्त संपत्ति का निपटान करने से निर्धारिती को रोकने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे, लेखापरीक्षा इस मामले में संबंधित एसआरओ के प्रति आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सका।

सिफारिश सं.10:

सीबीडीटी, दंडात्मक दृष्टिकोण से जांच करने, कुर्की आदेश जारी होने के बाद स्वामित्व में बदलाव, पंजीकरण अधिकारियों की किसी भी भूमिका सहित इसके परिणामों से बचने के लिए, पर विचार कर सकता है।

5.5 कुर्क की गई संपत्ति का अनियमित निरसन

धारा 281बी(3) के अनुसार, जहां निर्धारिती उप-धारा (1) के तहत एक अनुसूचित बैंक से गारंटी प्रस्तुत करता है जिनका मूल्य अनंतिम कुर्क संपत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम ना हो वहाँ निर्धारण अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा ऐसी कुर्की को रद्द कर देगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना धारा 281बी के तहत आदेश को रद्द कर दिया और काफी कम मूल्य की एक और संपत्ति अनंतिम कुर्क किया जो अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मामले को नीचे दर्शाया गया है:

मैसर्स आर25 लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले में, जिसका निर्धारण नि.व. 2013-14 से 2019-20 के लिए केन्द्रीय सर्कल-1(4), अहमदाबाद में प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद प्रभार के तहत किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत अचल संपत्तियों (57,596 वर्ग मीटर) जिसका अनुमानित मूल्य ₹ 18.95 करोड़⁷² था, को कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया (05/12/2019)। इसके बाद निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी को सूचित किया (दिसंबर 2019) कि कुर्क की गई संपत्ति का 35,398 वर्ग मीटर (61 प्रतिशत) नवंबर 2019 में ही बेच दिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद को सूचित किया (10/12/2019) कि उक्त संपत्ति पहले से ही अधिनियम की धारा 132(9बी) के तहत अनंतिम कुर्की के अधीन थी, जिसके दौरान निर्धारिती ने अधिनियम⁷³ की धारा 281 के तहत आवश्यक संपत्ति का निपटान करने से पहले निर्धारण अधिकारी से अनुमति लिए बिना संपत्ति का हिस्सा बेच दिया था और निर्धारण अधिकारी ने बिक्री को अमान्य माना था। हालांकि, बिक्री लेनदेन को रद्द करने के लिए निर्धारण अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद, निर्धारण अधिकारी ने उस संपत्ति की कुर्की को पूरी तरह से रद्द करने की सिफारिश की, जो अभी भी आंशिक रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी सिफारिश के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया था।

⁷² 57,596 वर्ग मीटर की संपूर्ण भूमि का मूल्य 35,398 वर्ग मीटर भूमि की बिक्री पर प्राप्त ₹3,291.14 प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित किया गया है।

⁷³ धारा 281(1) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, निर्धारिती निर्धारण अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी संपत्ति का प्रभार नहीं बनाएगा या अन्यथा निपटान नहीं करेगा, ऐसा नहीं करने पर उक्त लेनदेन शून्य हो जाएगा।

हालांकि, अतिरिक्त सीआईटी (केन्द्रीय), रेंज -1, अहमदाबाद ने धारा 281बी के तहत संपत्ति के शेष हिस्से (22,198 वर्ग मीटर) के लिए आदेश जारी रखने की सिफारिश की (10/12/2019), जो अभी भी निर्धारिती के स्वामित्व में था, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद ने धारा 281बी के तहत आदेश को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (13/12/2019) और निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 13/12/2019 के एक निरसन आदेश द्वारा कुर्क संपत्ति के संपूर्ण क्षेत्र को मुक्त कर दिया था। उसी दिन, निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत ₹1.47 करोड़ की एक अन्य संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक नया आदेश जारी किया, जो अनुमानित कर देयता (₹ 8.16 करोड़)⁷⁴ को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो तलाशी के दौरान पाई गई ₹ 27.20 करोड़ की बेहिसाबी आय/नकदी के निर्धारण पर अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2021) कि निर्धारण अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन धारा 281बी के तहत आदेश बिना किसी विस्तार के पहले ही समाप्त हो चुका था (जून 2020)।

इस प्रकार, संपत्ति के बिक्री लेनदेन को शून्य करने और उच्च मूल्य (₹ 11.65 करोड़) की संपत्ति को रद्द करने और कम मूल्य (₹ 1.47 करोड़) की संपत्ति जिसका वैधता निर्धारण पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो गया था, की कुर्की को लागू करने में उचित सावधानी बरतने की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व के हितों का संरक्षण कम/ संरक्षण नहीं हुआ। मंत्रालय/सीबीडीटी से उत्तर और निर्धारण कार्यवाही की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

5.6 अनंतिम कुर्की के संबंध में आयकर विभाग द्वारा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता वाले मामलें

'आयकर विभाग द्वारा धारा 281बी के तहत निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की' विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमें अनंतिम कुर्की प्रक्रिया की निगरानी से संबंधित कुछ मामलों का पता चला, जिन पर आयकर विभाग ध्यान केंद्रित कर सकता है ताकि अधिनियम के प्रावधानों के इच्छित उद्देश्यों

⁷⁴ ₹ 27.20 करोड़ की बेहिसाबी आय पर 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर (अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) पर गणना की गई।

को प्राप्त करने के लिए प्रणाली को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। इन मामलों को संक्षेप में नीचे इंगित किया गया है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) लेखापरीक्षित अधिकांश मामलों में, अनंतिम कुर्की आदेशों या आदेश टिप्पणियों में आवश्यक जानकारी जैसे वैधता अवधि, अनुमानित कर देयता, कुर्क संपत्ति का मूल्य आदि का अभाव था और इसी तरह, अधिकांश मामलों में, अधिसूचित प्राधिकारियों को विशिष्ट निर्देशों की कमी थी जो निर्धारिती के साथ-साथ अधिसूचित प्राधिकारियों को आदेशों का पालन करने की सुविधा प्रदान करेगा;

(ii) कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत जारी आदेशों में एकरूपता नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी प्रक्रिया की अप्रभावी निगरानी होगी;

(iii) लेखापरीक्षित मामलों में से 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में, अनंतिम कुर्की के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी की दर्ज राय, सीबीडीटी द्वारा निर्धारित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थी;

(iv) उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संबंधित निर्धारिती के कब्जे में उपलब्ध सभी संपत्तियों के विवरण का पता लगाने/दर्ज करने के विषय में निर्धारण अधिकारी द्वारा सीबीडीटी के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में पर्याप्तता के संबंध में संपत्ति का अपर्याप्त चयन हुआ;

(v) कुछ मामलों में, अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों के चयन में कमियां थीं;


(vi) लेखापरीक्षित लगभग 85 प्रतिशत मामले, धारा 281बी के वैधता प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे थे, अर्थात्, आदेश या तो निर्धारण कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या संबंधित संवीक्षा निर्धारण के पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गए थे।

(पैरा 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.4, 4.1 से 4.4 और 5.1)

इसलिए, धारा 281बी के तहत आदेश, जिसमें सभी अपेक्षित जानकारी और आदेशों में एकरूपता शामिल है, न केवल अनंतिम कुर्की की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त निगरानी में भी सुविधा प्रदान करेगा और स्थिरता के साथ-साथ पारदर्शिता भी लाएगा।


इसके अलावा, सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करना है कि राय बनाने के लिए बताए गए कारण उचित, विशिष्ट और विधिवत हों ताकि निर्धारिती को अनावश्यक मुकदमेबाजी/उत्पीड़न से बचाया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम/अनुदेशों में निर्धारित धारा 281बी के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इसके निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना भी आवश्यक है।

नई दिल्ली
दिनांक: 27 फरवरी 2023


(मौनिका वर्मा)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 मार्च 2023


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

